14

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा

(म0प्र0)

III/निगरानी/सतना/भू-रा/2017/1925

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

दिलभरण पयासी तनय निर्भय प्रसाद पयासी साकिन अंधवार, तहसील–कोटर, जिला–सतना म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

आम जनता ग्राम अंधवार द्वारा रामरक्षा गौतम तनय रमापति गौतम साकिन अंधवार, तहसील–कोटर, जिला–सतना म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क0 1112/अपील/12–13 आदेश दिनांक 11.04.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

5/9/20

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैः–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह मामले में उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा साक्ष्य के मूल्यांकन के बिना सरसरी तौर पर पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

3– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के यहां जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह आवेदन विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से तहसीलदार महोदय के यहां खारिज

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/सतना/भू.रा./17/1925 जिला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/12/17	आवेदक अभि0 श्री- मुकेश भार्गव उपस्थित। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	नोट प्रेषित 21/12

[कृ. प. उ.